जनसत्ता पेज 3
30.12.13

संशोधित मास्टर प्लान के प्रति सकारात्मक रुख दिखाएं केजरीवाल: कैट

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कानफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से निकट भविष्य में दिल्ली के मास्टर प्लान को संशोधित कर एक नया मास्टर प्लान घोषित किया जाना है जिसका सीधा संबंध न केवल व्यापारियों से बल्कि आम लोगों से भी है। इसलिए इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को फौरन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ से बात करनी चाहिए और मास्टर प्लान दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो इस हेतु प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार मास्टर प्लान की पंचवर्षीय समीक्षा कर रही है और मास्टर प्लान में संशोधन हेतु डीडीए की ओर से जनता से सुझाव मांगे गए थे जिन्हें अब अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को नया मास्टर प्लान घोषित करना है। जो अब कभी भी संभावित है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को भेजे एक पत्र में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने उनका ध्यान वैट कर प्रणाली को सरलीकृत करने के उनके वादे का स्मरण कराते हुए कहा कि वैट के कारण दिल्ली के व्यापारियों पर बड़ी मात्रा में अनावश्यक कागजी बोझ बढ़ गया है और व्यापारी भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से बेहद परेशान हैं। इस ओर भी केजरीवाल को ध्यान देकर व्यापारियों की वैट संबंधी समस्याओं का हल निकलने की ओर प्रयास शुरू करना चाहिए। खंडेलवाल ने यह भी कहा की अनेक वस्तुओं पर पड़ोसी राज्यों में कर की दरें कम होने से बड़ी मात्रा में दिल्ली का व्यापार पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित हो रहा है। इस कारण दिल्ली सरकार को वैट राजस्व की हानि हो रही है।

खंडेलवाल ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि दिल्ली के सदियों पुराने व्यापारिक वितरण स्वरूप को बचाने के लिए भी उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली में मल्टी ब्रांड रिटेल को अनुमति न देने की उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता पर खंडेलवाल ने केजरीवाल का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट विशुद्ध रूप से विदेशी कंपनियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसका पालन वर्तमान परिस्थितियों में न केवल व्यापारी बल्कि आम लोग भी नहीं कर सकते हैं लिहाजा दिल्ली में यह कानून लागू करने से पहले इसके हर पहलू पर व्यापक विचार होना आवश्यक है।

खंडेलवाल ने अपने पत्र में यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2007 में दिल्ली की 351 सड़कों को व्यावसायिक या मिक्स्ड लैंड यूज घोषित करने हेतु दिल्ली सरकार के पास भेजी भी थी जिसे पिछली सरकार ने नोटिफाई नहीं किया और यह मामला अब भी दिल्ली सरकार के पास लंबित है। उन्होंने केजरीवाल से आग्रह किया कि दिल्ली सरकार अब बिना किसी और विलंब के इन सड़कों को नोटिफाई करे जिस से दिल्ली के लाखों व्यापारियों को वाजिब न्याय मिल सके।